तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

COMFED

मुजफ्फरपुर डेयरी

पोस्ट-कोल्हुआ पैगम्बरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर-843108

होल-डे सुधा मिल्क पार्लर आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

1.1 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर बिहार राज्य के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार सरकार द्वारा योजना की मंजुरी से सुधा उत्पादों के विपणन के साथ-साथ बिहार के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी।

1.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु होगी, जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री आँकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है। आवंटन की गणना एकरारनामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी।

1.3 आवंटी कॉम्फेड या कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आवंटी कॉम्फेड या कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी स्वयं को स्थापित नहीं करेंगे और इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

1.4 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मानदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

1.5 आवंटी/संचालक को कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के साथ रू 1000/- के नन् ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा संपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप संबंधित संघ/इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रणः-

2.1 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र Offline द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवार का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा जिसमें बूथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत बूथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। आवेदन भरने की संबंधित जानकारी, दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तें इस निविदा में तथा तिमुल के वेबसाइट www.sudhatimul.in एवं कॉम्फेड के संघ/इकाई के वेबसाइट पर भी दी गयी है। आवेदक से अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इसमें निहित सभी नियम व शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

2.2 आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड-I) के फॉर्म को भर कर उसमें माँगी गयी जानकारियों का ब्यौरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगें। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बंद करेंगें। लिफाफा-1 के उपर "तकनीकि निविदा" अवश्य लिखें।

वित्तीय निविदा (खण्ड-II) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर समर्पित कर उसे सील बंद स्थिति में समर्पित करेंगें। लिफाफा-2 के उपर "वित्तीय निविदा" अवश्य लिखें।

उपरोक्त वर्णित दोनों लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) में डाल कर उसे सील बंद करेंगें।

आवेदक अपने सभी तीनों लिफाफे पर "राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन" एवं "आवेदित स्थल का नाम" के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाईल/दूरभाष नं0 अवश्य लिखेंगें।

2.3 निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.4 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों की जाँच संघ/इकाई के नामित समिति द्वारा की जायेगी।

2.5 चयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज तिमुल कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

2.6 आवेदनों की जाँच के उपरांत एक से अधिक पात्र उम्मीदवारों के द्वारा समर्पित की गयी अधिकतम दर समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में समान रूप से अधिकतम दर समर्पित करने वाले पात्र उम्मीदवारों के बीच के लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।

2.7 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध की आगे की प्रक्रिया, सुरक्षा राशि जमा करना और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा किया जायेगा। निर्गत औपबंधिक कार्यादेश Letter of Award (LOA)/ आवंटन आदेश की एक प्रति कॉम्फेड मु0 को प्रेषित की जायेगी ।

2.8 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अथवा तकनीकी कारणों से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तब शेष बचे सभी पात्र आवेदकों में से ही अधिकतम दर समर्पित करने वाले को चयनित किया जायेगा । चयन के उपरांत यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में दूसरा सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता को प्रथमतया सबसे अधिक समर्पित करने वाले दर पर ही काम करने की सहमति ली जाएगी । सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही उन्हें आवंटन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जाएगी ।

यदि दूसरा निविदादाता भी प्रथमतया सबसे अधिक समर्पित किए गये दर पर कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में तीसरे सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदादाता से प्रथमतया सबसे अधिक प्राप्त दर पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य आवंटन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्य करने से मना करने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी ।

2.9 चयनित सफल उम्मीदवार/निविदादाता को औपबन्धिक Letter of Award(LOA) निर्गत किया जायेगा। औपबन्धिक Letter of Award(LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अभिलेख हेतु कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई में जमा करना होगा।

2.10 आवंटी को रू0 1,00,000.00 (एक लाख रूपयें) की सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट (मूल प्रति) के रूप में कॉम्फेड के सबधित संघ/इकाई/ कॉम्फेड के कार्यालय में जमा करना होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात् औपबन्धिक Letter of Award(LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

2.11 यदि कोई चयनित उम्मीदवार को औपबन्धिक Letter of Award(LOA) कार्यादेश निर्गत किया जाता है एवं औपबन्धिक Letter of Award(LOA) कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 (दस हजार) जब्त कर ली जाएगी ।

2.12 कॉम्फेड एवं संबंधित संघ/इकाई द्वारा अनुबंध के तहत अन्तिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा होल--डे मिल्क पार्लरों का संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री आँकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

2.13 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मानदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

3.0 पात्रता मापदंडः–

3.1 शैक्षणिक योग्यता :– न्यूनतम साक्षर (प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.2 आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.3 उम्रः– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम–21 वर्ष ।

3.4 आधार कार्ड संख्या :– ....
(पहचान के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.5 आवेदक को "स्व घोषणा प्रमाण पत्र" संलग्न करना होगा जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि :–

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं या नहीं ।

2. (अ) मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना या कॉम्फड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं या नहीं ।

(ब) यदि 2 (अ) का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा सहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करें ।

मैं (आवेदक का नाम)_______________ स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्री मती (कार्यरत कर्मी का नाम) ____________________ (संघ/इकाई का नाम)................................के (पदनाम)....... ...._ के पद पर (पदस्थापन का स्थान) ___________में कार्यरत है, एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध)................_ है ।

(उदाहरणार्थः– मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्री मती रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, मुजफ्फरपुर के डेयरी वर्कर के पद पर सीवान में कार्यरत है, मेरे पिता है ।)

ऐसे आवेदक, (1) जिन्हें स्वयं या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व से होल–डे मिल्क पार्लर आवंटित हैं, उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्य को एवं (2) कॉम्फेड या कॉम्फेड के संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत वर्तमान कर्मी को इस योजना के अन्तर्गत होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटन नही किया जायेगा।

(स्वघोषणा पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है।)

3.6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अग्रधन राशि :– आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) सभी वर्गो के लिए रू0 1000.00 (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 (दस हजार) निर्धारित है । आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन राशि के रूप में आवेदन के साथ अलग–अलग डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

3.7 आवेदनकर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतेय हो, संलग्नित करेंगे।

3.8 वित्तीय योग्यता :– (व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि रू0 1,00,000/– होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रू0 1,00,000/– की राशि जमा रहने का प्रमाण (passbook की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं0 दर्ज हो तथा संबंधित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो) या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करे।)

3.9 आवेदक को स्वस्थ होना आवश्यक है । संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा मॉग किये जाने पर आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रदान करना होगा।

3.10 असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि रू0 10,000/– वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नही होगा ।

3.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि रू 1,00,000/– (एक लाख) (वापसी योग्य) डिमांड ड्रापट के रूप में जमा करना होगा। अंतिम रूप से चयनित आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 (दस हजार) को सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे रू0 90,000.00 (नब्बे हजार) आवंटी को जमा करना होगा । सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.12 चयन के उपरांत सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर पैन कार्ड आधार कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

3.13 पात्रता मानदंड के तहत् बिन्दु सं0 3.1 से 3.9 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदंड शर्तो को पुरा करना होगा । मानदंड शर्तो को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

3.14 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वित्तीय निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं उनका वित्तीय निविदा नही खोला जायेगा ।

4.0 <u>सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु **Standard Operating Procedure (S.O.P)**</u>

4.1 बिक्री हेतु सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय सुबह 6:00 AM से रात्रि 9:00 PM तक निर्धारित रहेगा।

4.2 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालक को मार्ग प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पाद प्राप्त करना होगा।

4.3 प्रत्येक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर कॉम्फेड के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन संघ/इकाई से संबंधित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पतियों का अधिकार कॉम्फेड, पटना का होगा।

4.4 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्रांड की पहुँच बढाने हेतु प्रत्येक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए संबंधित संघ/कॉम्फेड इकाई द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4.5 आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य उत्पाद या ब्रांड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं दी जाती है।

4.6 आवंटी/संचालक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र के लिए केवल संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई/पी.एम.सी. की इकाई द्वारा संबंधित क्षेत्र हेतु नियुक्त वितरक के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पादों को क्रय नहीं किया जायेगा।

4.7 आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान संबंधित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा।

4.8 आवंटी/संचालक को कॉम्फेड या उसके संघ/इकाई द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खुदरा मुल्य (M.R.P) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करना होगा तथा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सामने एम.आर.पी. की सूची प्रदर्शित करनी होगी।

4.9 चयनित आवंटी/संचालक को सुधा होल–डे मिल्क पार्लर परिसर के पास साफ–सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

4.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय–समय पर सर्विसिंग/रख रखाव आवंटी/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

4.11 चयनित आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर परिसर के समीप अस्थायी स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।

4.12 विशेष अवसरों हेतु, आवंटी/संचालक को अपने संबंधित वितरकों को अधिक माँग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

4.13 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर किसी भी दिन बन्द नहीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा संबंधित प्राधिकारी को पूर्व मे सूचना प्रदान की जायेगी।

4.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय आवंटी/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा की जाँच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.15 चयनित आवंटी/संचालक ग्राहको को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी व्यक्ति व पुश कार्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन आवंटी/संचालक को हीं प्रदान करना होगा।

4.16 आवंटी/संचालक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतु अधिकतम दो सेल्स मैन को नियुक्त कर सकते हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्स मैन का वेतन आवंटी/संचालक को हीं प्रदान करना होगा।

4.17 आवंटी/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। आवंटी/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।

4.18 संबंधित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि आवंटी/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या संबंधित क्षेत्र के वितरक के संबंध में कोई शिकायत हो तो ऐसे मामलों को आवंटी/संचालक द्वारा संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।

5.0 <u>रखरखाव एवं अन्य शुल्कों का भुगतानः–</u>

5.1 आवंटी/संचालक को Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति रिकार्ड हेतु संबंधित संघ/इकाई को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।

5.2 आवंटी/संचालक को निविदा के आलोक में देय आवंटित मासिक किराया/दर प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित मासिक आवंटित दर में प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत 15% की वृद्धि की जायेगी । इसके अतिरिक्त अन्य किराया यदि भूमि के लिए लागू हो उसे आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

5.3 आवंटी/संचालक को बिजली बिल, मासिक रख-रखाव किराया/दर, पानी शुल्क तथा अन्य वैद्यानिक खर्च प्रत्येक माह के पॉच तारीख के पूर्व संबंधित संघ/इकाई में जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिजली व पानी आदि आवश्यक का कनेक्शन आवंटी को स्वयं के नाम पर लेना आवश्यक होगा ।

5.4 आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पति के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संबंधित संघ/ कॉम्फेड की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

5.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/बिक्री की जानी चाहिए।

6.0 <u>सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का समापनः-</u>

6.1 आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । कार्यकाल प्रारंभ होने की गणना इकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटन कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी अन्य पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।

6.2 यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध/इकरारनामा समाप्त किया जा सकता है:-

(क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर ।

(ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उप-पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(ड.) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (M.R.P) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(च) यदि संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

6.3 कॉम्फेड/इकाई/संघ आवंटी/संचालक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि कॉम्फेड/इकाई/संघ को ज्ञात होता है कि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड/इकाई/संघ, सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों के हित के विरूद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे कॉम्फेड/इकाई/संघ या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही है।

6.4 आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को सरेंडर करने की स्थिति में आवंटी/संचालक को संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।

6.5 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के चयन की पूर्व के प्रक्रिया के तहत् की जायेगी।

6.6 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को संचालक/आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा, जिसमें प्रतिदिन 100 रू0 दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु आवंटी/संचालक उतरदायी होगा। दंडात्मक किराये की गणना सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अनाधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।

6.7 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्रांडिंग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को दो प्रतियों में हैंडओवर और टेकओवर के माध्यम से संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड या चयनित नये आवंटी/संचालक को सौंप दिया जायेगा, जिसपर संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के प्रतिनिधि एवं आवंटी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

6.8 आवंटन समाप्ति की दशा में पुराने आवंटी/संचालक के परिवर्तन के समय पुराने आवंटी/संचालक के द्वारा ही सभी बकाया राशि का निपटान एवं सुधा होल–डे मिल्क पार्लर में स्थित सभी स्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर में लगाये/दिये सभी सम्पतियों का निरिक्षण संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के अधिकृत संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी/संचालक से उसकी क्षतिपुर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

7. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) :

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड मुख्यालय को वस्तु स्थिति की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड मुख्यालय द्वारा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यादेश/संपादित किये गये एकरारनामा के आलोक में सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं।

(ख) इस धारा/उपबंध/खण्ड "अप्रत्याशित घटना" (Force Majeure) को शामिल करने का उद्देश्य वैसी घटनाओं, परिस्थितियों में सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन से है, जो आवंटी/संचालक या संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें आवंटी/संचालक या संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है। हड़ताल, दुर्घटना, आगलगी, बाढ़, ऑधी–तुफान, भुकम्प, माहामारी अथवा शासन के आदेश या घोषणा के अनुपालनार्थ या वैसी परिस्थिति जो संबंधित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हो, को शामिल करना है।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की दशा में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम–1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

मुजफ्फरपुर डेयरी

पोस्ट–कोल्हुआ पैगम्बरपुर, जिला–मुजफ्फरपुर–843108

खंड–I
(बिहार सरकार)
के

सात निश्चय–2 योजना अंतर्गत होल–डे मिल्क बूथ हेतु आवेदन प्रपत्र (तकनिकी निविदा)

(हाल के पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएँ)

1. जिला का नाम : ....

2. आवेदित स्थल का नाम : ....
(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)

3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में): ....

4. आवेदक का पता
   (क) वर्तमान पता : ....
   ....
   ....
   (ख) स्थायी पता : ....
   ....
   ....

(कृपया क्रम संख्या 3 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

5. मोबाईल नम्बर : .... ई–मेल : ....

6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या: ....
(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

7. पैन कार्ड नम्बर : ....
(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

8. स्थायी निवास प्रमाण पत्र : ....

(आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमे आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

9. शैक्षणिक योग्यता (साक्षर) : ....
(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. उम्र (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम–21 वर्ष) : ....
(कृपया जन्म प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तावेज या दसवीं पास का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित है।)

11. स्व घोषणा प्रमाण पत्र: ....
(आवेदक द्वारा संलग्नित "स्वघोषित प्रमाण पत्र" संलग्न करना आवश्यक होगा।)

12. क्या आवेदक स्वस्थ है ? हाँ / नहीं
(कृपया उपयुक्त में सही √ का निशान लगावें)
(संबंधित संघ / इकाई / कॉम्फेड द्वारा माँग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्नित करना होगा।)

13. निविदा में आमंत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रधन राशि :–
(आवेदनकर्ता निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी रू0 1,000.00 एवं अग्रधन की राशि रू0 10,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो अलग–अलग हो एवं संबंधित संघ / इकाई के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतेय हो, संलग्नित करें।)

14. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता : ....
(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रू0 100000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

नोटः

- सुधा मिल्क पार्लर हेतु आवेदन करने से पहले निविदादाता / आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़, समझ लें।
- क्रम संख्या 1 से 14 तक अनिवार्य सभी शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रकिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगे।
- सफल उम्मीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI License प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदादाता का वित्तीय निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नही खोला जायेगा ।

स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

मै एतद द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नही है। मै इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या / गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मै उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....

तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

मुजफ्फरपुर डेयरी

पोस्ट-कोल्हुआ पैगम्बरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर-843108

खंड-II

(बिहार सरकार)

के

सात निश्चय-2 योजना अंतर्गत होल-डे मिल्क

बूथ हेतु आवेदन प्रपत्र

(वित्तीय निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

(आवेदक द्वारा ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

1. जिला का नाम : ....

2. आवेदित स्थल का नाम : ....

(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)

3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में): ....

4. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर (रू0 प्रतिमाह)

अंकों में ....

शब्दों में ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....

तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
मुजफ्फरपुर डेयरी

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं अथवा नहीं ।

हॉं/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही √ का निशान लगावें)

2. मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना या कॉम्फड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/हैं अथवा नहीं ।

हॉं/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही √ का निशान लगावें)

यदि 2 का उत्तर हॉं हैं, तो निम्न ब्यौरा भरें ।

मैं (आवेदक का नाम)..

स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्री मती (कार्यरत कर्मी का नाम) ....

....

(संघ/इकाई का नाम)..के

(पदनाम).. के पद पर

(पदस्थापन का स्थान) ....में कार्यरत है,

एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध)..हैं ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः ....

स्थानः ....